अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2021 (GCMS 2021/59)(आईटीआई पोर्टल नं. 212573973556209) रामचन्द्र पुत्र लालाराम जाति ब्राह्मण गांव खाटां तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर – 335021 बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामचन्द्र स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पत्रांक एफ12(11)( ) राजस्व विधि 2020/628 दिनांक 08.02.2021 भूमि संबधी शिकायत पत्र उपनिबंधक (भू.अ.) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का पत्रांक 65 दिनांक 04.01.2021 के संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में 10 दिवस नियमानुसार आवश्यक जांचॅ/कार्यवाही तथ्यात्मक रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त ... की प्रमाणित शुदा नकल तथ्य सहित ... उपलब्ध करवाई जावे।
2. कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पत्रांक एफ...) राजस्व विविध 2020/3673 दिनांक 04.12.2020 निगरानी मूल पत्र दिनांक 12.11.2020 एवं 18.11.2020 व 24.11.2020 पत्र संलग्न कर लेख है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2021

नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थी को अपने स्तर पर अवगत कराए उक्त प्रकरण कि तथ्यात्मक रिपोर्ट कि प्रमाणित शुदा नकल।

3. राजस्व रिकार्ड में विवाद का विवरण दर्ज नही किया अगर किया गया तो विवाद के बावजूद जमीन का विक्रय कैसे किया गया। खांटा बारानी मु.नं. 89 की 10 बीघा की प्रमाणित शुदा जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक 956 दिनांक 17.08.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

क्र. सं.	चाही गई सूचना	सूचना के सम्बन्ध में उत्तर
1.	कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पत्रांक एफ12(11)( ) राजस्व विधि 2020/628 दिनांक 08.02.2021 भूमि संबधी शिकायत पत्र उपनिबंधक (भू.अ.) राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का पत्रांक 65 दिनांक 04.01.2021 के संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में 10 दिवस नियमानुसार आवश्यक जांचें/कार्यवाही तथ्यात्मक रिपोर्ट शिकायतकर्ता को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल तथ्य सहित शीघ्र उपलब्ध ... जावें।	उक्त प्रकरण में जांच हेतु तहसीलदार, रायसिंहनगर को लिखा गया, तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट पत्र क्रमांक/रीडर/2021/598 दिनांक 17.08.2021 प्राप्त हुई है।(प्रति संलग्न है)। आवेदक जाचं रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। उक्त प्रकरण में आवेदक का कोई व्यक्तिगत हित या लोकहित नही है।
2.	कार्यालय ... श्रीगंगानगर ... ( ) राजस्व विविध 2020/673 दिनांक 04.12.2020 निगरानी मूल पत्र दिनांक 12.11.2020 एवं 18.11.2020 व 24.11.2020 पत्र संलग्न कर लेख है कि प्रार्थना	उक्त प्रकरण में जांच हेतु तहसीलदार, रायसिंहनगर को लिखा गया तहसीलदार, रायसिंहनगर से रिपोर्ट पत्र क्रमांक/रीडर/2021/581 दिनांक 04.08.2021 प्राप्त हुई है।(प्रति संलग्न है)। आवेदक

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

	पत्र में अंकित तथ्य पर नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर प्रार्थी को अपने स्तर पर अवगत कराए उक्त प्रकरण कि तथ्यात्मक रिपोर्ट कि प्रमाणित शुदा नकल।	जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। आवेदक आदतन शिकायती है। उक्त प्रकरण में आवेदक का कोई व्यक्तिगत हित या लोकहित नही है।
3.	राजस्व रिकार्ड में विवाद का विवरण दर्ज नही किया अगर किया गया तो विवाद के बावजूद जमीन का विक्रय कैसे किया गया। खांटा बारानी मु0नं. 89 की 10 बीघा की प्रमाणित शुदा जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।	राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) में सूचना से तात्पर्य किसी भी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश, लाग बुक, संविदा रिपोर्ट कागज पत्र नमूने, मॉडल आंकडो संबधी सामग्री शामिल है लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 275 दिनांक 17.05.2021 से उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 की [illegible] प्रार्थी कार्यालय समय में उपस्थित होकर नियमानुसार प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) के तहत देय नहीं है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है इसलिए अपीलार्थी बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार राशि जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:59:09 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर